न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 63/2018
3. उनवान : जोधा उर्फ जोधाराम पुत्र श्री धन्ना जाति बलाई, निवासी ढहर की ढाणी तन मूण्डोती तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

बनाम

1. श्रीमती रूकमा देवी पत्नी कानाराम (नाम हजफ)
2. कमला देवी पुत्री कानाराम पत्नी नाथूलाल जाति बलाई निवासी राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पुराना फुलेरा के पास, फुलेरा जिला जयपुर।
3. मूला पुत्र श्री धन्ना (फौत)

3.1संतरा देवी पुत्री मूला पत्नी रामप्रसाद जाति बलाई निवासी प्रेम नगर झोटवाडा जयपुर।

3.2 हीरालाल पुत्र मूला जाति बलाई, निवासी ढेहर की ढाणी तन मुण्डौती तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

3.3 राधेश्याम पुत्र मूला जाति बलाई निवासी ढेहर की ढाणी तन मुण्डौती तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

3.4 गंगा पुत्री मूला पत्नी पप्पूजी जाति बलाई निवासी ढोडवाडियों का वास ग्राम पंचायत मूंदवाडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

3.5 प्रभाती पुत्री मूला पत्नी लक्ष्मण जाति बलाई निवासी ढोडवाडियों का वास ग्राम पंचायत मूंदवाडा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

3.6 इन्दरा पुत्री मूला पत्नी भगवान सहाय जाति बलाई निवासी शिम्पुपुरा तन ड्योढी हाल बागवान सिटी पैलेस गोविन्द देवजी के मन्दिर के पास जयपुर।

3.7 ओमप्रकाश पुत्र मूला जाति बलाई निवासी ढेहर की ढाणी तन मुण्डौती तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

4. मोहन लाल पुत्र श्री धन्ना
5. लाला पुत्र श्री धन्ना (फौत)

5.1 सुरेश पुत्र लाला

5.2 बजरंग पुत्र लाला समस्त जाति बलाई निवासी ढेहर की ढाणी तन मुण्डौती तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

6. सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डोती पंचायत समिति सांभर जिला जयपुर।
7. नायब तहसीलदार उप तहसील किशनगढ रेनवाल तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 12.07.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) श्री विजय कुमार शर्मा अपीलकर्ता की ओर से।

ब) श्री राजेश कुमार सैनी गैर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

स) श्री बी.एल. वर्मा गैर रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 3/2, 3/3 की ओर से।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं ग्राम सुखालपुरा के खसरा नंबर 68 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा भूमि का 2/3 हिस्सा जरिये डिक्री मूला राम, लालू राम, मोहनलाल, काना, जोधा, पिश्रान धन्ना कौम बलाई साकिन मूण्डोती के नाम अंकित हो गई। कानाराम पुत्र धन्नाराम बलाई का देहान्त दिनांक 31.05.1999 को हो गया एवं उसके पूर्व ही कानाराम पुत्र धन्नाराम ने अपनी स्वयं अर्जित भूमि का वसीयतनामा खसरा नम्बर 68 ग्राम सुखालपुरा तहसील फुलेरा का दिनांक 20.10.1993 को मजमेआम में स्थानीय सरपंच एवं बस्ती के सभी जाति के लोगों के सामने तहरीर कर दिया एवं नोटेरी पब्लिक जयपुर से भी उसी दिन 20 अक्टूबर 1993 को तस्दीक करवा दिया, जिसके अन्तर्गत कानाराम वल्द धन्नाराम के हिस्से की भूमि की वसीयत 1/2 उनकी पत्नी रूकमा के नाम, जो कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 है एवं 1/2 हिस्से की वसीयत अपीलान्ट के नाम कर दी। रेस्पोडेन्ट सं0 1 एक वर्ष से सुखालपुरा गॉव से फुलेरा चली गई एवं जमीन पर कब्जा काश्त बाकी परिवारिक सदस्यों के साथ खातेदारी भूमि है। दिनांक 20.01.2009 को अपीलान्ट ने स्थानीय ग्राम पंचायत मूण्डोती में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कानाराम पुत्र धन्नाराम ने अपनी कृषि भूमि की 1/2 की हिस्से की वसीयत अपीलान्ट के नाम कर रखी है। अतः कोई नामान्तरकरण इत्यादि का अंकन किया जाये तो कृषि भूमि जो कानाराम वल्द धन्नाराम की है, वो वसीयत के अनुसार ही दर्ज की जावे तो सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डोती ने अपीलान्ट को आश्वासन देकर वसीयत व प्रार्थना पत्र अपने पास रख लिया एवं नामान्तरकरण पर नोट लगाकर तस्दीक करने का भी आश्वासन दे दिया। दिनांक 14.10.2009 को ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मूण्डोती में हुई तो अपीलान्ट ने पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2009 की प्रगति पूछी तब सरपंच ने ये बताया कि दिनांक 20.01.2009 को एप्लीकेशन बाबत तत्कालीन पटवारी को बता दिया था एवं नामान्तरकरण प्रस्तुत करने की हिदायत दे दी थी लेकिन पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण बालावाला नायब तहसीलदार उपतहसील किशनगढ रेनवाल, तह0 फुलेरा ने दिनांक 09.03.2009 को तस्दीक कर दिया। अतः नामान्तरकरण संख्या 401 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 14.10.2009 को हुई।

अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण सं0 401 को 10 वर्ष बाद तस्दीक किया है एवं बिना किसी जांच एवं नोटिस के तस्दीक किया है। नामान्तरकरण जानबूझ कर सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं किया एवं वसीयत के मामले राजस्व अधिकारियों को नामान्तरकरण के जरिये निस्तारित नहीं करने चाहिए थे। प्रकरण intricate था एवं ऐसे मामले Right and title नामान्तरकरण के जरिये निर्णित नहीं होते एवं अपीलान्ट के पक्ष में नोटेरी से सत्यापित वसीयत दिनांक 20.10.1993 की उपलब्ध थी, जिसकी जानकारी मजमेआम में ग्राम पंचायत मूण्डोती को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके तत्कालीन पटवारी एवं सरपंच को दिनांक 20.01.2009 को लिखित में दी थी। कृषि भूमि काना वल्द धन्ना की स्वयं अर्जित भूमि थी एवं जैसा कि वसीयत में लिखा हुआ है, अपीलान्ट ने ही उसकी सेवाबन्दगी की थी एवं उनकी पत्नी एवं उनको खर्चा देता रहा था। अतः उन्होंने अपनी स्वयं अर्जित भूमि की वसीयत कर दी एवं उसमें किसी को नुक्ताचीनी करने का कोई अधिकार नहीं है। जहॉ तक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 का सवाल है उसको पिता की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं है क्योंकि भूमि दादालाई नहीं है। ये भूमि काना वल्द धन्ना के हिस्से की थी एवं दिनांक 20.10.1993 को ही उक्त हिस्से की भूमि 1/2 अपीलान्ट की हो गई एवं 1/2 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के हो गई जो कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की माता है। इस तरह 20.10.1993 के बाद काना वल्द धन्ना की पत्नी को उनके हिस्से की कृषि भूमियों ग्राम सुखालपुरा तहसील फुलेरा में 1/2 हिस्सा रह गया। यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अपने पति द्वारा की गई वसीयत के विरूद्ध आचरण करके रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के यहॉ रहने लग गई एवं उपरोक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियों से साझबाज करके वसीयत के विपरीत नामान्तरकरण संख्या 401 के अन्तर्गत दर्ज करवा ली जिसको दर्ज करने का न तो राजस्व कर्मचारियों को अधिकार था और ना ही प्रतिवादी संख्या 1 को ही ये सब कराने का अधिकार था।

अन्त में निवेदन किया गया है कि ग्राम पंचायत मूण्डोती, नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल, तहसील फुलेरा से नामान्तरकरण संख्या 401 का रिकार्ड तलब करके बिना नोटिस व बिना सुनवाई व बिना जॉच 10 वर्ष बाद प्रकृति न्याय के सिद्धान्तों एवं न्याय प्रकिया के विपरित तस्दीक अपीलाधीन नामान्तरकरण को अपास्त किया जावें एवं सुखालपुरा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा हिस्सा 2/15 में रूकमा देवी पत्नी कानाराम एवं कमला देवी पुत्री कानाराम के स्थान पर जोधा उर्फ जोधाराम पुत्री धन्नाराम एवं रूकमा देवी पत्नी कानाराम बहिस्सा बराबर वसीयत के आधार पर अंकित किये जाने का आदेश पारित करें।

अपीलाधीन अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम, अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति एवं अन्य दस्तावेजात पेश किये है।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। दिनांक 27.10.2010 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम हजफ करने के आदेश प्रदान किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सैनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 3/2, 3/3 की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एल. वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1, 3/4 लगायत 3/7 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1, 5/2 की रजि. डिलीवरी प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थिति है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने नोटिस लेने से इन्कार किया, तामील माना गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 एवं 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया गया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 09.03.2009 आराजी खसरा संख्या 68 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से 2/2 हिस्सा वाके ग्राम सुखालपुरा तहसील फुलेरा हाल तहसील किशनगढ रेनवाल मुख्यालय सांभर जिला जयपुर में अन्य व्यक्तियों के साथ काना, मूला, जोधा, मोहन व लाला के नाम अंकित चली आ रही थी। उपरोक्त पांचो भाईयों में से कानाराम का देहान्त दिनांक 31.05.1999 को हो गया एवं उन्होने खसरा नम्बर 68 ग्राम सुखालपुरा सहित दिनांक 20.10.1993 को स्थानीय सरपंच इत्यादि के हस्ताक्षर के उपरान्त नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर ग्राम मुण्डोती एवं सुखालपुरा में स्थित कृषि भूमियों की वसीयत कर दी जिसमे जोधाराम के नाम कर दी एवं इस मामले की सूचना स्थानीय ग्राम पंचायत मुण्डोती को दिनांक 20.01.2009 को ही प्रस्तुत कर दी। इस मामले में उपरोक्त ग्राम पंचायत में कार्यवाही विचाराधीन होने के बावजूद कमला देवी ने राजस्व कर्मचारियों सांठ गांठ करके उपरोक्त भूमि 1/2 अपने नाम करा ली एवं 1/2 अपनी मां के नाम करा ली जिसके विरूद्ध यह अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वसीयत का उद्देश्य देखभाल एवं प्रेम होता है एवं स्वर्गीय कानाराम केंसर की बीमारी से पीडित था जिसका इलाज कानाराम के सगे छोटे भाई जोधाराम ने अपनी निजी आय से खर्च किया जिससे प्रसन्न होकर उसने 1/2 हिस्से की भूमि की वसीयत उनके नाम कर दी एवं शेष 1/2 हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी के नाम कर दी। लिहाजा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 401 सरपंच ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2009 के विचाराधीन रहने के बावजूद दिनांक 09.03.2009 को राजस्व तहसीलदार द्वारा जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया वो विधि विरूद्ध होने के कारण उसे उपरोक्त परिस्थिति एवं न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में पंचायत की कार्यवाही दिनांक 14.10.2009 एवं वसीयतनामा दिांक 20.10.1993 की प्रति पेश की है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम मुण्डोती तत्कालीन तहसील फुलेरा हाल तहसील किशनगढ रेनवाल में स्थित खसरा नंबर 73 लगायत 80 कुल किता 8 कुल रकबा 62 बीघा 18 बिस्वा भूमि के हिस्सा 2/3 की खातेदारी मोहनलाल, काना, जोधा, मूला, लाला पुत्रान धन्ना हिस्सा बराबर के नाम दर्ज था, इनमें से मोहनलाल प्रत्यर्थी सं. 4, जोधा अपीलार्थी, मूला प्रत्यर्थी सं. 3, लाला प्रत्यर्थी सं. 5 है एवं इनमें से भी प्रत्यर्थी सं. 3 मूला व प्रत्यर्थी सं. 5 लाला का दौराने अपील देहावसान हो चुका है एवं इनके वारिसान अभिलेख पर लिये जा चुके है। उपरोक्त खातेदारान में से एक खातेदार काना पुत्र धन्ना का देहावसान हस्तगत अपील की दायरी से पूर्व दिनांक 31.05.1999 को हो गया था, जिसका फौती नामा0 सं0 256 ग्रा0पं0 मुण्डोती द्वारा दिनांक 09.03.2009 को स्वीकृत कर तदानुसार उपरोक्त मृतक काना की खातदेारी हिस्सा 2/15 इनकी पत्नी व पुत्री प्रत्यर्थी सं.1 रूकमा देवी व प्रत्यर्थी सं. 2 कमला देवी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा दी। दौराने अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 रूकमा देवी का देहावसान हो गया था तथा उसका फौती नामान्तरकरण उसकी प्रत्यर्थी संख्या 2 कमला देवी के हक में स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया गया। खसरा नंबर 68 के हिस्सा 2/15 की खातेदारी कमला देवी के नाम दर्ज है। ग्राम सुखालपुरा में सिति भूमि ख.नं. 68 रकबा 15 बीघा 6 बिसवा के हिस्सा 2/15 की खातेदारी साविक राजस्व अभिलेख में कानाराम पुत्र जोधाराम के नाम दर्ज थी, जिनका स्वीकृत रूप से दिनांक 31.05.1999 को देहावसान हो गया था। स्व. कानाराम के वारिसान में केवल उनकी धर्मपत्नी रूकमा देवी एवं पुत्री कमला देवी ही थी, जो हस्तगत अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के रूप में संयोजित है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 401 के माध्यम से भूमि ख.नं. 68 के हिस्सा 2/15 के खातेदार स्व. कानाराम का फौती नामान्तरकरण प्रतयर्थी संख्या 1 व 2 के हक में भरा जाकर ग्रा. पं. मुण्डोती द्वारा दिनांक 09.03.2009 को स्वीकृत किया गया था, जिसे अपीलार्थी जोधा ने 7 माह से अधिक के विलम्ब से अपील पेश की। वसीयत दिनांक 20.10. 1993 कानाराम पुत्र धन्नाराम द्वारा निष्पादित नहीं की गयी थी। उक्त वसीयत में प्रयुक्त स्आम्प वसीयत के लिये नहीं अपितु बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिये कय किया गया था। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 में विहित विधि के द्वारा ही साबित की जा सकती है। उक्त वसीयत की वैधता एक विचारण व प्रकिया का प्रश्न है, जिसका निरतारण केवल नियमित वाद से ही किया जा सकता है। अपीलार्थी ने उपरोक्त वसीयत के संबंध में ना तो प्रोबेट प्राप्त किया है और ना ही दीवानी न्यायालय से उपरोक्त वसीयत की वैधता डिकी के माध्यम से घोषित कराई है। अतः अपील अपीलान्ट मय हर्जे-खर्चे के खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण 401 दिनांक 09.03.2009 नियमानुसार विधिक प्रकिया उपरान्त खोला गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। विवादित भूमि के खातेदारान में से एक खातेदार काना पुत्र धन्ना का देहावसान दिनांक 31.05.1999 को हो गया था, जिसका फौती नामान्तरकरण संख्या 256 ग्रा.पं. मुण्डोती द्वारा दिनांक 09.03.2009 को स्वीकृत कर तदनुसार उपरोक्त मृतक काना की खातेदारी हिस्सा 2/15 इनकी पत्नी व पुत्री प्रत्यर्थी संख्या 1 रूकमा देवी व प्रत्यर्थी संख्या 2 कमला देवी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा दी। दौराने अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 रूकमा देवी का देहावसान हो गया था तथा उसका फौती नामान्तरकरण उसकी पुत्री प्रत्यर्थी संख्या 2 कमला देवी के हक में स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया गया। ख.नं. 68 के हिस्सा 2/15 की खातेदारी कमला देवी के नाम दर्ज है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन एवं आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

हम अपीलान्ट की अपील, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा रेस्पोडेन्ट के जवाब अपील एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा उभयपक्ष की लिखित बहस का अवलोकन एवं मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 09.03.2009 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील का मूल आधार वसीयतकर्ता की स्व–अर्जित सम्पति बताते हुए किया गया है किन्तु दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह पाते हैं कि अपीलाधीन भूमि का नामान्तरकरण धन्ना के समस्त वारिसानों के नाम ना खुलने अपितु केवल 2 वारिसानों के नाम ही खुलने के कारण उक्त डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पैतृक होना पुष्ट होता है। इसलिए पैतृक सम्पति में वसीयत का कोई आधार स्पष्ट नहीं होता है। अतः स्वीकार योग्य नहीं है।

दूसरा बिन्दू यह है कि अपीलान्ट द्वारा अपील का मुख्य आधार 1993 में की गई वसीयत को बनाया गया है। चूंकि वसीयत के संबंध में निर्णय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में वसीयत को प्रोबेट कराने की कार्यवाही अपीलान्ट द्वारा पहले सिविल न्यायालय में किया जाना चाहिए था और वसीयत के आधार पर इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं है।

बिन्दू संख्या 3 यह है कि अपीलान्ट द्वारा तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 09.03.2009 वाके ग्राम सुखालपुरा की जिस भूमि की वसीयत करना बताया है, उस वसीयत में जो स्टाम्प प्रयुक्त किया गया है, उसके पृष्ठ भाग पर अंकित स्टाम्प के प्रयोजन, जो कि "बिजली" के लिये प्रदर्शित किया गया है। इससे यह सुस्पष्ट और पुष्ट होता है कि वसीयत जिस स्टाम्प पर लिखी गई है, वह स्टाम्प वसीयत के प्रयोजन से ना लिया जाकर "बिजली" के प्रयोजन के लिए लिया गया है। ऐसी स्थिति में बिजली के प्रयोजन के लिए लिये गये स्टाम्प पर वसीयत लिखा जाना विधि विरूद्ध एवं सुसंगत नहीं होने से वसीयत को प्रथम दृष्ट्या पुष्ट नहीं मानते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 09.03.2009 वाके ग्राम सुखालपुरा तहसील फुलेरा हाल तहसील किशनगढ रेनवाल को ठोस एवं पुष्ट दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद मिसल तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलेक्टर
(तृतीय) जयपुर